2006 : CGHC : 5486

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 1713/2003

याचिकाकर्ता	:	मनोज कुमार, आयु लगभग 39 वर्ष, पिता श्री श्रवण कुमार गुप्ता, पारस कॉम्प्लेक्स, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, गुरुद्वारा रोड, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	1) भारत संघ, द्वारा: महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 2) मंडल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, मंडल कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 3) वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, एस. ई. सी. आर., दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर (छग) 4) स्टेशन मास्टर, दक्षिण पूर्व रेलवे, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ जायसवाल।
	:	रेलवे की ओर से श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री नारायण श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(दिनांक 13 फरवरी, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता एक स्नातक बेरोजगार युवा है और दुर्ग जिले का स्थायी निवासी है। उसने रेलवे यात्रा सेवा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए रेलवे प्रशासन के पास आवेदन किया था। उसके आवेदन के जवाब में, उसे दिनांक 3–12–1999 से 2–12–2002 तक 3 साल की अवधि के लिए रेलवे यात्रा सेवा एजेंट के रूप

में कार्य करने की अनुज्ञप्ति दी गई थी। अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने से बहुत पहले, याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक को दिनांक 3–12–2002 से 2–12–2005 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। फिर, अनुलग्नक पी–1 के रूप में चिह्नित अनुमोदन दिनांक 26–11–2002 प्राप्त हुआ। यह निम्नानुसार पठित है:–

"

दक्षिण पूर्व रेलवे संख्या COM./TC/RTSA/96/PT.11/02

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय,
बिलासपुर मंडल,
दिनांक 26.11.2002

प्रति,
श्री मनोज कुमार,
पारस कॉम्प्लेक्स,
एस. बी. आई. के सामने,
गुरुद्वारा रोड,
दुर्ग(छ. ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विषय : रेल यात्रा सेवा अभिकर्ता, दुर्ग के संबंध में।

संदर्भः 1) आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक निरंक।
2) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.02।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि आर. टी. एस. ए. के नवीनीकरण के लिए आपके आवेदन की जांच की गई है। चूंकि रेलवे प्रशासन ने दुर्ग में आर.टी.एस.ए. के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पहले ही नए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं, इसलिए कार्यकाल/अवधि अर्थात 02.12.2002 की समाप्ति के बाद आर.टी.एस.ए. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आपके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

धन्यवाद

भवदीय,
सही/–
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक
बिलासपुर

प्रतिलिपि : मुख्य स्टेशन प्रबंधक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
प्रतिलिपि : मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
प्रतिलिपि : मुख्य वाणिज्य निरीक्षक/दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सही/–
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक,
बिलासपुर

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, इस याचिका के तीसरे उत्तरवादी द्वारा जारी उपरोक्त अनुमोदन से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

2. मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 47 की उप–धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 7 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि तृतीय उत्तरवादी को याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना चाहिए था और अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने के लिए आक्षेपित अनुमोदन में कथित कारण पूर्णतः अप्रासंगिक है और इसे विधिमान्य नहीं किया सकता है। उत्तरवादीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, रेलवे, ने इसके विपरीत आक्षेपित अनुमोदन का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मुझे आक्षेपित अनुमोदन में स्पष्टतः एक त्रुटि दिखाई देती है। याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने के लिए तृतीय उत्तरवादी द्वारा कथित कारण नियमों के नियम 7 के निबंधन में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक और असंगत है। नियम 7 निम्नानुसार हैः

> "7. **अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण–**कोई अनुज्ञप्ति , जब तक कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी मामले में अन्यथा विनिश्चय न करे, तीन वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा और समय–समय पर इस प्रकार नवीकृत किया जा सकेगा तथा नियम 4 के उपबंध अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उसके प्रदान किए जाने पर लागू होते हैं।"

नियम 7 में प्रयुक्त भाषा सरल, स्पष्ट और संदेह रहित है और यह एक से अधिक अर्थों को स्वीकार नहीं करती है। नियम 7 का एकमात्र अर्थ यह है कि एक अनुज्ञप्ति को 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जाना है और समय–समय पर नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, जो इस प्रकरण में तृतीय उत्तरवादी है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अन्यथा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय न ले। तृतीय उत्तरवादी का प्रकरण यह नहीं है कि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर, उसने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया और कुछ भारी और ठोस आधार या कारणों से, उसने अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने का विनिश्चय किया और उस संबंध में लिखित रूप में कारण दर्ज किया। दूसरी ओर, आक्षेपित अनुमोदन में ही यह दर्शित होता है कि तृतीय उत्तरवादी ने अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन प्राप्त करने के बाद क्या किया था। इस स्तर पर ही, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आक्षेपित अनुमोदन पूर्व के अनुज्ञप्ति की अवधि 02–12–2002 के समाप्त होने से पहले ही जारी किया गया था। आक्षेपित अनुमोदन, स्पष्ट शब्दों में, दर्शाता है कि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि रेलवे प्रशासन ने पहले ही रेलवे यात्रा सेवा एजेंट के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु नए आवेदन आमंत्रित कर लिए थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आक्षेपित अनुमोदन जारी करने में, तृतीय उत्तरवादी ने नियमों के नियम 7 के अधिदेश का उल्लंघन किया है। प्रथमतः, तृतीय उत्तरवादी को याचिकाकर्ता की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नए आवेदन नहीं मंगाने चाहिए थे। द्वितीयतः, नियम 7 के उपबंधों के अनुसार, तृतीय उत्तरवादी को याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न करने का विनिश्चय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने से पहले नए आवेदन नहीं मंगाना चाहिए था। किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो, मैं यह कहूंगा कि आक्षेपित अनुमोदन स्पष्टतः अवैध है तथा वैधानिक नियम 7 का उल्लंघन है।

4. रेलवे की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय हरित का तर्क कि यद्यपि नियम 7 के अंतर्गत याचिकाकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की मांग करने का हकदार था, परन्तु उसे नियमों के नियम 4 की आवश्यकताओं का पालन करना था और चूंकि उसने नियम 4 के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए वह अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का हकदार नहीं है। इस न्यायालय को रेलवे की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य विरुद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य**[1] के प्रकरण में निर्णय की कंडिका 8 में जो अवधारित किया है, उस पर ध्यान दिया जाये। यह निम्नानुसार पठित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "जब कोई सांविधिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी विधिमान्यता को इस प्रकार उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे शपथपत्र या अन्यथा के रूप में नए कारणों से अनुपूरित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, आरंभ में दोषपूर्ण आदेश, चुनौती दिए जाने पर न्यायालय में पहुंचने तक, बाद में प्रस्तुत अतिरिक्त आधारों द्वारा वैध हो सकता है। हम यहाँ गोरधनदास भंजी (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 16) (कंडिका 8) के प्रकरण में माननीय न्यायाधीश बोस की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैं:
>
> " वैधानिक प्राधिकार के प्रयोग में सार्वजनिक रूप से जारी किए गए सार्वजनिक आदेशों की व्याख्या आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर नहीं की जा सकती कि उसका क्या आशय था, या उसके मन में क्या था , या वह क्या करना चाहता था। लोक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उनका उद्देश्य उन लोगों के कार्य और आचरण को प्रभावित करना होता है जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और आदेश में

1 AIR 1978 SC 851 (at para 8)

> उपयोग की गई भाषा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।"

आक्षेपित अनुमोदन यह उजागर नहीं करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए किया गया आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिसे अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, अर्थात, याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 4 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था।

5. फलतः और पूर्वगामी कारणों से, दो सप्ताह के भीतर संदेय 3,000/– रुपये (तीन हजार रुपये) के वाद व्यय के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे विधि के अनुसार और नियम 7 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए रेलवे यात्रा सेवा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

गोपाल

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**